(वाद सं0.-381/4/32/2020)

21.02.2022

परिवादी, अनिश गौरव, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, के पिता श्री अजय कुमार प्रभात, व्याख्याता अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, छपरा, सारण को प्रभारी प्राचार्य द्वारा सितंबर, 2019 एवं अक्टूबर, 2019 का वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी की ओर से एक आवेदन इस आशय का दिया गया है कि नये प्राचार्य के आने के बाद उनके उपरोक्त लंबित दो माहो के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संतोषजनक समाधान कर दिया गया हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक